फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

हरबंस बनाम स्टेट

प्रकरण संख्या 148 /2023

किस्म मुकदमा : 136 LRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
10.07.2023	प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा 1 बीकेके के खाता स0 103/31 में मुझ प्रार्थी का नाम हरवंशसिंह पुत्र जरनेलसिंह दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम हरवंस सिंह पुत्र जरनैल सिंह है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम हरबंस सिंह पुत्र जरनैल सिंह दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हरबंस सिंह पुत्र जरनैल सिंह दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट/मजमें आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम हरबंस सिंह पुत्र जरनैल सिंह है तथा नाम संशोधन की अनुशंषा की गई है। प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रामसरा द्वारा तस्दीक भी पेश कि गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरवंशसिंह पुत्र जरनेलसिंह दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हरबंस सिंह पुत्र जरनैल सिंह दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अ0नि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एवं मजमें आम की जानकारी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 1 बीकेके के खाता स0 103/31 में दर्ज नाम ह[illegible] के स्थान पर हरबंस सिंह पुत्र जरनैल सिंह का संशोधन किया ज[illegible] है। [illegible]र नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट [illegible] में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राज[illegible] रिकार्ड में अंकन क[illegible]तु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner